| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 26/12/24 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजस्व न्यायालय बाहर दौरे से तशरीफ रखते है / अन्य कार्य में व्यस्त है / अभिभाषकगण का हड़ताल पर है। अतः पत्रावली सामान्य कार्यवाही हेतु दिनांक...13/01/25......को पेश हो। | |
| 13/01/25 | वकु० अप०। TDR, बून्दी की रिपोर्ट जरिये पत्रांक भू० अ०/4303/2024 दिनांक 27/09/24 शा० मि० पत्रावली है। बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश दिनांक 17/01/25 को पेश हो। | |
| 17/01/25 | वकु० अप०। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया; शा० मि० हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

| मिसल नंबर | दायरा दिनांक | पीठासीन अधिकारी |
|---|---|---|
| **16/दावा/2023**<br>**31/दावा/2019 (पुराना)** | **05.09.2019** | **हरबिन्दर डी0 सिंह,**<br>आर0ए0एस0 |

रंगलाल आत्मज श्री कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम गणपतपुरा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—वादी

—बनाम—

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी राज०।
2. चन्द्रप्रकाश
3. कमलेश पिसरान स्व0 कल्याण
4. प्रेमबाई
5. जोशना बाई
6. रामविलासी पुत्रियान स्व0 कल्याण
7. धन्नीबाई पत्नी स्व0 कल्याण सभी जातियान् मीना निवासीगण ग्राम गणपतपुरा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

## वाद वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती
## अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

## निर्णय

दिनांक—17.01.2025

उपस्थित— वादी की ओर से एडवोकेट राजकुमार गोयल।
प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार।

वाद—पत्र वादी द्वारा पेश किया गया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कि जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या नये 5 के खसरा संख्या 134 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 143 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 143/45 रकबा 01 बिस्वा गै0मु0 चाह, खसरा संख्या 163 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 185 रकबा 13 बीघा, खसरा संख्या 186 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 51 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम गणपतपुरा तहसील व जिला बून्दी में स्थित हैं। इसी प्रकार आराजी खसरा संख्या 144 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 145 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 146 रकबा 10 बिस्वा [illegible]है, खसरा संख्या 147 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 148 रकबा 03 [illegible] बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम गणपतपुरा तहसील [illegible] जिला बून्दी में स्थित हैं। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2070 से 73 के खसरा संख्या [illegible] रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 122 रकबा 08 [illegible] 125 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा वाके ग्राम गणपतपुरा तहसील व जिला बून्दी में स्थित हैं। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2070 से 73 के खसरा संख्या 135 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम गणपतपुरा तहसील व जिला बून्दी में स्थित हैं। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2070—73 के खसरा संख्या 148 रकबा 06 बीघा, खसरा संख्या 151 रकबा 05

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा, खसरा संख्या 153 रकवा 01 वीघा 10 विस्वा, खसरा संख्या 154 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 07 वीघा 19 विस्वा वाके ग्राम काटूनारा तहसील व जिला बून्दी में स्थित हैं। उपरोक्त भूमियां पक्षकारान् को अपने पिता व पति स्व0 कल्याण से विरासतन् प्राप्त हुई हैं। कल्याण जी की मृत्यु के उपरान्त फौती नामान्तकरण से उक्त आराजियात् के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम सहवन से रंगलाल के स्थान पर लटूरलाल अंकित हो गया हैं, जिसे सही करवाने का अधिकार वादी को हैं। वादी द्वारा वाद पत्र में इत्यादि अंकित कर निवेदन किया इंतकाल संख्या 177 ग्राम गणपतपुरा दिनांक 27.12.2001 एवं इंतकाल संख्या 145 दिनांक 27.12.2001 ग्राम काटुनारा मे जो कि स्वर्गीय श्री कल्याण जी की भूमि के संबंध में उनके वारितान के नाम खोला गया उसमें वादी का नाम त्रुटि से लटूर लाल लिखा गया उसे निरस्त कर वादी का नाम रंग लाल करने की डिक्री प्रदान की जावें और इस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जायें तथा उक्त इंतकाल के आधार पर वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 5 के वर्णित खाते की भूमियों में कल्याण के वारिसान् के रूप में लटूर लाल का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर वादी रंग लाल का नाम अंकित करने की डिक्री प्रदान की जावें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावें।

उक्तानुसार वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, बून्दी से वाद पत्र के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलव की गई व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 द्वारा अपने जवाव दावा में वाद के सभी तथ्यों को स्वीकार वादी का वाद स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति न होना अंकित किया। तहसीलदार, बून्दी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2024/4303 दिनांक 27.09.2024 से अवगत कराया हैं कि ग्राम गणपतपुरा के खाता संख्या 5 किता 5 रकबा 51.11 बीघा में खातेदार लटूर, चंद्रप्रकाश, कमलेश पुत्र कल्याण धन्नी बेवा कल्याण, प्रेम, जोशना, रामविलासी पुत्रिया कल्याण हिस्सा 1/6 दर्ज हैं (जमावंदी 2070–73)। इसी प्रकार खाता संख्या 6 किता 5 रकवा 14.16 बीघा खाता, संख्या 78 किता 3 रकबा 11 बीघा, खाता संख्या 76 खसरा नंबर 135 रकबा 2.15 बीघा में भी लटूर, चंद्रप्रकाश, कमलेश पुत्र कल्याण मु० धन्नी बेवा कल्याण प्रेमवाई, जोशना वाई, रामविलासी पुत्रियां कल्याण दर्ज रिकार्ड है। ग्राम काटूनारा के जमावंदी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 7 किता 4 रकबा 7.19 बीघा में लटूर, चंद्रप्रकाश, कमलेश पुत्र कल्याण मु० धन्नी बेवा कल्याण वगे० हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। ग्राम गणपतपुरा के नामां० संख्या 177 दिनांक 27.12.01 से मृतक कल्याण पुत्र दीपा मीणा के फोती नामां० में मृतक के वारिसान लटूर, चंद्रप्रकाश, कमलेश पुत्र प्रेमवाई, जोशना रामविलासी (नावा०) पुत्रीयां कल्याण धन्नी बेवा कल्याण हैं की प्रति संलग्न है। मजमे आम में जानकारी करने पर पाया गया की लटूर को रंगलाल के नाम से भी गाँव में जाना जाता हैं। प्रार्थी का नाम उसके समस्त दस्तावेजो जैसे आधारकार्ड, राशनकार्ड, वच्चों की अंक–तालिकाओं में रंगलाल ही दर्ज हैं। अतः लटूर व रंगलाल दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। अतः नाम शुद्धि करने योग्य हैं।

वहस सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि वाद विषयक आराजी के राजस्व रेकार्ड में सहवन से घर का नाम लटूरलाल अंकित कर दि[illegible]जी नाम रंगलाल हैं। राजस्व रेकार्ड में लटूरलाल अंकित होने से वादी [illegible] काश्तकारी कार्य में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा हैं। इसलिये श्रीमान् जी [illegible] आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम रंगलाल अंकित करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested

वहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न ग्राम गणपतपुरा के जमावंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 5 पुराना 5 की आराजी कुल किता 6 कुल रकवा 7.9284 है0, खाता संख्या 6 पुराना 6 की आराजी कुल किता 5 कुल रकवा 2.2763 है0, खाता संख्या 76 पुराना 72 की आराजी कुल किता 1 कुल रकवा 0.4230 है0, खाता संख्या 78 पुराना 71 की आराजी कुल किता 3 कुल रकवा 1.6918 है0 व ग्राम काटूनारा के जमावंदी सम्वत् 2076 (वर्ष

2019) से स्थायी के खाता संख्या 7 पुराना 16 की आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 1.2228 है0 में वादी का नाम लटूर पुत्र कल्याण अंकित हैं। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी लटूरलाल व रंगलाल वादी के ही नाम हैं। इसलिये वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना एवं वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में लटूर के स्थान पर लटूर उर्फ रंगलाल किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम गणपतपुरा के जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 5 पुराना 5 की आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 7.9284 है0, खाता संख्या 6 पुराना 6 की आराजी कुल किता 5 कुल रकबा 2.2763 है0, खाता संख्या 76 पुराना 72 की आराजी कुल किता 1 कुल रकबा 0.4230 है0, खाता संख्या 78 पुराना 71 की आराजी कुल किता 3 कुल रकबा 1.6918 है0 व ग्राम काटूनारा के जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 7 पुराना 16 की आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 1.2228 है0 में काश्तकार के नाम में अंकित प्रविष्टी ''लटूर पुत्र कल्याण'' के स्थान पर ''लटूर उर्फ रंगलाल पुत्र कल्याण'' अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। तदनुसार तहसीलदार, बून्दी को चिट्ठी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:44:43 IST
Reason: SelfAttested